सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	ज्येष्ठ 28, गुरूवार, शाके 1942–जून 18, 2020 *Jyaistha 28, Thursday, Saka 1942–June 18, 2020*	

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य–प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप–विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

गृह (ग्रुप-5) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जून 18, 2020

जी.एस.आर.175 :-राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्याक 1) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 03.05.2020 एवं जीएसआर 113 दिनांक 03.05.2020 द्वारा राजपत्र में प्रकाशित विनियम में निम्नानुसार संशोधन करती है, जैसे कि समय-समय पर संशोधित किया गया, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त विनियमों में वर्तमान में विनियम 9 के बाद निम्नानुसार विनियम 10 एवं 11 जोडी जाती हैः-

"10. प्रत्येक कार्यालय/कार्यस्थल के प्रमुख यथा- राजकीय, निजी, शैक्षणिक संस्थान, कारखानें, शॉपिग मॉल्स, बैंक, शोरूम्स आदि एवं प्रत्येक दुकानदार द्वारा अपने परिसर के प्रवेश-द्वार पर पोस्टर (हिन्दी अथवा अंग्रेजी) प्रदर्शित किया जायेगा। पोस्टर का प्रारूप जैसे कि विनियम 11 के नीचे विनिर्दिष्ट किया गया है।

11. प्रत्येक व्यवसायिक संगठन (व्यापार मण्डल) एवं मंडी संगठन भी इस पोस्टर (हिन्दी अथवा अंग्रेजी) को सम्बद्ध बाजार/मंडी के मुख्य स्थान पर प्रदर्शित करेंगे। पोस्टर का प्रारूप निम्नानुसार होगा:-

पोस्टर का प्रारूप

कोरोना से बचाव के उपाय अपनायें
मास्क पहनें, दो गज की दूरी बनायें
1
बार बार हाथ धोयें
2
दो गज की दूरी बनाये रखें
3
बिना मास्क बाहर न जायें
4
सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूके
मेडिकल हैल्पलाइन 104/108 । कोरोना वॉर रूम: 181

[संख्या प. 9(16)गृह-5/2020]

राज्यपाल के आदेश से,

राजीव स्वरूप,

अतिरिक्त मुख्य सचिव।

Home (Gr.V) Department

Notification

Jaipur, June 18, 2020

G.S.R. 175.-In exercise of the powers conferred by section 4 of the Rajasthan Epidemic Diseases Ordinance, 2020 (Ordinance No. 1 of 2020), the State Government hereby makes the following amendments in regulations issued by this department's even number notification dated 03-05-2020 and published in Gazette vide GSR 113 dated 03-5-2020, as amended from time to time, namely:-

AMENDMENTS

In the said regulations, after the existing regulation 9, the following new regulations 10 and 11 shall be added, namely:-

"10. Every Head of the office/work place like Government, Private, Educational Institutions, Factories, Shopping Malls, Banks, Showrooms etc. and every shopkeeper shall display poster (in either Hindi or English) at the entry point of their premises. The format of the poster shall be such as specified below regulation 11.

11. Every Business Association (Vyapar Mandal) and Mandi Association shall also display poster (in either Hindi or English) in the market at prominent place in the market/Mandi concerned. The format of the poster shall be as under:-

Format of Poster

"

[No.F. 9(16) Home-5/2020]

By order of the Governor,

Rajeeva Swarup,

Additional Chief Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.